राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांक : ए.4( )लेखा/बजट/2022–23/ दिनांकः–

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 "मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की कियान्विति के अन्तर्गत इम्प्रेस्ट राशि के पुनर्भरण के संबंध में।

संन्दर्भः– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक कमांक प.022(01)चि.स्वा/2/2022 जयपुर दिनांक 13.05.2022 एवं विभाग के पत्र कमांक 1235–41 दिनांक 24.08.2022 एवं 1700–15 दिनांक 23.01.2023 के कम मे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के कम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 "मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना" की कियान्विति हेतु वित्त विभाग की आइडी संख्या 102202469 दिनांक 29.04.2022 द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 212 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2022 तक इम्प्रेस्ट राशि आहरण करने की अनुमति दी गई थी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की कियान्विति के अन्तर्गत इम्प्रेस्ट राशि हेतु निर्देश दिये गये थे कि इम्प्रेस्ट राशि का आहरण लोक लेखा मद 8672–स्थायी रोकड अग्रदाय, 101 सिविल" से होगा एवं संबंधित व्यय का पुनर्भरण राज्य निधि बजट मद के अन्तर्गत जाचं से संबंधित व्यय मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बजट मदों से एवं दवा से संबंधित व्यय मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बजट मदों से किया जावे।

जिन आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की कियान्विति अन्तर्गत इम्प्रेस्ट राशि का आहरण लोक लेखा मद "8672–स्थायी रोकड अग्रदाय, 101 सिविल" से किया है। आहरित इम्प्रेस्ट राशि से किये गये व्यय का पुनर्भरण संबंधित योजना मदों से किया जाना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 10.03.2023 तक समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी इम्प्रेस्ट राशि का पूर्ण पुनर्भरण कर लिया गया है। इस बाबत प्रमाण पत्र संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में आहरित की गई इम्प्रेस्ट राशि की संस्थावार सूचना संलग्न प्रपत्र मे दिनांक 10.03.2023 तक आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी एमएनडीवाई/एमएनजेवाई को भिजवाते हुए एक प्रति वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

निदेशक (जन–स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4( )लेखा/बजट/2022–23/1845 दिनांकः– 1 3 23

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, MNDY एवं MNJY मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में जिलेवार सूचना तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा लोक लेखा मद "8672–स्थायी रोकड अग्रदाय, 101 सिविल से आहरण की गई इम्प्रेस्ट राशि का पुनर्भरण संबंधित बजट मदों से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी सर्वर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि है कि विभाग कि वेबसाइट पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन–स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <directorph-rj@nic.in>.
Digitally Signed

RajKaj Ref No. : 3254012

प्रपत्र–अ

कार्यालय का नामः–						
क0 सं0	चिकित्सा संस्थान का नाम	स्वीकृत इम्प्रेस्ट राशि	स्वीकृत इम्प्रेस्ट राशि में से की गई व्यय राशि	इम्प्रेस्ट में से किये गये व्यय की समायोजित राशि	समायोजन के पश्चात् शेष समायोजन योग्य राशि अर्थात जिसका समायोजन होना बकाया है	इम्प्रेस्ट राशि का अब तक पुनर्भरण नहीं किये जाने के कारण
1.						
2.						
3.						
4.						

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <directorph-rj@nic.in>.
Digitally Signed